रवि शंकर चौधरी, भा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2020 को 12.00 बजे अप0 में ऑटो संघ के सदस्यों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही :—

उपस्थिति :—

1. **श्री रवीन्द्र यादव, मो0 7033707916**
2. **श्री राजेश चौधरी, मो0 9771602929**
3. **श्री बिजेन्द्र साव, मो0 9955723704**

कार्यवाही।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित ऑटो संघ के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड–19 संक्रमण के मद्देनजर अपना बचाव किया जाना है। जिला पदाधिकारी द्वारा परिवहन विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश से अवगत कराया गया तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :—

1. सभी ऑटो चालक अपने घर सेनिटाईजर का निर्माण करेंगें तथा प्रतिदिन उसे सेनेटाईज करने के उपरांत ही वाहन पर यात्रियों को बैठायेंगें तथा यात्रियों को उतारने के उपरांत एवं पुनः यात्रियों को बैठाने के पूर्व अपने वाहन का सेनेटाईज करेंगें।
2. चालक साफ कपड़ा एवं मास्क तथा ग्लब्स का प्रयोग करेंगें।
3. ऑटो पर बैठान क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को वाहन पर बैठायेंगें।
4. सभी वाहन चालक वाहन के अंदर कोविड–19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टीकर लगायेंगें।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल पर्याप्त मात्रा में पोस्टर/स्टीकर छपवा कर सभी ऑटो/वाहन चालकों को उपलब्ध करायेंगें।
6. ऑटो पर चढ़ने एवं उतरने के समय सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करायेंगें।
7. बिना मास्क/चेहरा ढके व्यक्तियों को वाहन पर नहीं बैठायेंगें यथा मास्क एवं चेहरा ढके व्यक्तियों को ही वाहन पर बैठायेंगें।
8. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल ऑटो स्टैण्ड में हाथ धुलाई हेतु पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें।
9. वाहन को भीड़–भाड़ वाले स्थलों पर नहीं रोकेंगें।
10. खाली स्थान पर ही रोक कर यात्रियों को चढायेंगें एवं उतारेंगें।
11. वाहनों के अंदर पान, गुटखा, खैनी, तम्बाकू आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगें।
12. वाहनों के रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
13. बस/ऑटो स्टैण्ड में यत्र–तत्र थूकना वर्जित होगा।

इसके अनुपालन हेतु निम्न प्रकार समिति का गठन किया जाता है :—

1. **श्री रवीन्द्र यादव, मो0 7033707916**
2. **श्री राजेश चौधरी, मो0 9771602929**
3. **श्री बिजेन्द्र साव, मो0 9955723704**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी
अरवल

ज्ञापांक : 798/गो0 अरवल, दिनांक : 11/06/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल/उप विकास आयुक्त, अरवल/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।